

पत्रावली पर संवत् 2073 (स.प.) में जरिये कोस  
बालक अक्षय नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया  
है। पटवारी हल्का बजाट की रिपोर्ट की आधार पर प्रकरण  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर  
हो।

गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 14/2/2017  
को पेश हो।

वहसीलदार, रिजर्व बंदी  
(वागीर-राजस्थान)

36  
25-1-2017

14.02.2017

पत्रावली रिजर्व बंदी में स्तम्भ 3 का दुआ एवं सुगा गमा।  
पत्रावली का प्रतिलिपि किमा अक्षय के विवरण इस  
कारण है कि पटवारी हल्का बजाट में भूजा कब्जा के  
दस्तावेज 183 खसरा 0.08 हे. गैरसायल पर संवत् 2073  
में 'दस्तावेज प्राप्त हुआ किमा कोस 12 नि. 0.04 म. किमा के  
विषय अतिक्रमण करने के संबंध में श्री 0.08 रिजर्व  
पेश किया। जिस पर इस-सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत राजस्थान प्रमाण  
पत्र पर उक्त स्तम्भ के विषय L.R. No. 1452 की धारा 91  
के तहत कोस रिजर्व किमा गमा उक्त स्तम्भ 3 का दुआ एवं  
सुगा गमा उक्त स्तम्भ 3 के राजस्थान भूमि जे.यू. गौहर पर  
अतिक्रमण मन्दा ही कर किमा से ही रिजर्व में उक्त स्तम्भ  
को भूजा का-किमा के क्र. 183 खसरा 0.08 हे. गैरसायल  
किस प्रकार में गैरसायल पर राजस्थान भूमि जे.यू. गौहर  
पत्र से अतिक्रमण करने से अतिक्रमण कोस किमा प्रमाण  
किमा गमा अतिक्रमण की अतिक्रमण रूप से वेतन कर करने एवं  
वागीर के लक्षण का प्रमाण भूजा सुगा गमा 28/1/2017 -  
करने का कार्य कर रहे हैं। पटवारी हल्का बजाट में  
उक्त अतिक्रमण दस्तावेज गैरसायल की भूमि किमा  
पत्र से वेतन कर करने के अतिरिक्त सुगा गमा शस्य की  
अतिक्रमण किमा गमा पत्रावली सुगा गमा गमा कर रहे हैं।

पत्रावली रिजर्व बंदी

वहसीलदार, रिजर्व बंदी  
(वागीर - राजस्थान)

श्री दादा लाल शर्मा वर्मा को भोजन करने / पचाने के लिए शुभान  
केन्द्र के लिए रु. 1000/- वि. सं. का. क्र. 14/2/2017  
समाप्त।

श्री. लालदास, रियां बड़ी  
(बापीर - रायपुर)

वर्ष 2073 रुपये 200/- (दुआस नंबर)  
रा. सं. 4 के फुट सं. 143 पर वर्ग की।

कर्मचारी विभाग, रियां बड़ी